राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(5)गृह–1/2020 जयपुर, दिनांक : 30.09.2020

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 28 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक **10.09.2020** की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **कनिष्ठ वेतन श्रृखंला की** निम्नांकित वर्षो की पूर्व में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं के आधार पर जारी पदोन्नति आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

वर्ष 2013–2014

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2013–2014 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04–09–2013 द्वारा श्री सुनील विश्नोई पुत्र श्री रूघाराम, पु0नि0 के विरूद्व एसीबी प्र0सं0 4/13 दर्ज होने के कारण एक पद रिक्त रखते हुए पदोन्नति की अभिशंषा सील्ड कवर में रखी गई। उक्त प्रकरण में दि0 09–07–14 को माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया। श्री सुनील कुमार विश्नाई की रिक्ति तिथि 01–04–13, एसीबी प्रकरण से पूर्व की होने के कारण सील्ड कवर में रखी गई अनुशंषा निरस्त कर श्री सुनील कुमार विश्नोई को वर्ष 2013–2014 में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री मोहन सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह (सामान्य) के नीचे एवं श्री महावीर प्रसाद जोशी पुत्र श्री मनी राम (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2015–2016

श्री भंवरलाल पुत्र श्री शिवलाल (एससी) के विरूद्व आदेश दिनांक 23–12–2011 द्वारा पारित परिनिन्दा के दण्डादेश को अपीलादेश दिनांक 13–01–2016 द्वारा अपास्त किये जाने के कारण वर्ष 2015–2016 में पदोन्नत किया जाता है।

इनकी वरिष्ठता श्री महेन्द्र कुमार भगत पुत्र श्री हरिशंकर भगत (एससी) के नीचे व श्री दिनेश कुमार राजौरा पुत्र श्री बाबूलाल राजौरा (एससी) के ऊपर निर्धारित की जाती है। वर्ष 2015–16 में एससी वर्ग के अधिकारी श्री रतन लाल पुत्र श्री चुन्नी लाल के पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते है।

वर्ष 2016–2017

वर्ष 2016–2017 की रिक्तियों के प्रति श्री भँवर लाल पुत्र श्री शिवलाल (एससी) के पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते है तथा श्री रतन लाल पुत्र श्री चुन्नी लाल (एससी) को पदोन्नत किया जाता है। श्री रतन लाल की वरिष्ठता श्री रोहित कुमार (एसटी) के नीचे व श्री मांगीलाल राठौड़ (एससी) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2017–2018

श्री बलवीरसिंह पुत्र श्री दलपत सिंह, पु0नि0 (एसटी) के विरूद्व आदेश दिनांक 01–07–2014 द्वारा पारित परिनिन्दा के दण्डादेश को अपीलीय आदेश दिनांक 21–02–2019 द्वारा अपास्त किये जाने के कारण श्री बलवीर सिंह को वर्ष 2017–18 में पदोन्नत किया जाता है।

इनकी वरिष्ठता श्री पवन कुमार (सामान्य) के नीचे व श्री कमल प्रसाद मीणा (एसटी) के ऊपर निर्धारित की जाती है। वर्ष 2017–18 के एसटी वर्ग के अधिकारी श्री सत्य प्रकाश के पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते है।

श्री विजय शंकर पुत्र श्री धन्ना लाल, पु0नि0 (सामान्य) के विरूद्व आदेश दिनांक 31–10–2015 द्वारा परिनिन्दा एवं आदेश दिनांक 08–08–2017 द्वारा एक वा0वे0वृ0 बिना भावी प्रभाव के पारित दण्डादेशों को क्रमशः अपीलीय आदेश दिनांक 22–02–2018 एवं 10–02–2020 के द्वारा अपास्त किये जाने के कारण वर्ष 2017–18 में श्री विजय शंकर को पदोन्नत किया जाता है।

इनकी वरिष्ठता श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री हनुमन्त सिंह (सामान्य) के नीचे व श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री हेम सिंह (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है। वर्ष 2017–18 की रिक्ति के प्रति श्री इरफान अली पुत्र श्री मुस्तफा खॉ (सामान्य) के जारी पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते है।

जारी 2-पर

श्री अनूपसिंह पुत्र श्री शैतान सिंह, पु0नि0 (सामान्य) के विरूद्व दिनांक 30–06–2014 को प्रदत्त एक वार्षिक वेतन वृद्वि के दण्डादेश को अपीलीय आदेश दिनांक 16.02.2018 के द्वारा अपास्त किये जाने के कारण तीसरी सन्तान का प्रभाव देते हुए प्रथम बार वर्ष 2017–18, दूसरी बार वर्ष 2018–19 एवं तीसरी बार 2019–20 में पदोन्नति से वंचित किया जाता है।

वर्ष 2018–2019

श्री बलवीरसिंह पुत्र श्री दलपत सिंह, पु0नि0 (एसटी) के वर्ष 2018–2019 की रिक्ति के प्रति जारी पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते है। श्री सत्य प्रकाश (एसटी) को वर्ष 2018–19 में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामकिशोर (एसटी) के नीचे तथा श्री श्योजी लाल मीणा पुत्र श्री मोहन लाल (एसटी) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2018–2019 में श्री इरफान अली पुत्र श्री मुस्तफा खॉं (सामान्य) को पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री कालूराम वर्मा पुत्र श्री बोदू राम (एसटी) के नीचे व श्री अतुल अग्रे पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है। वर्ष 2018–19 की रिक्तियों के प्रति सामान्य वर्ग के अधिकारी श्री मदन सिंह चौहान पुत्र श्री हरी सिंह (सामान्य) के पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते हैं।

वर्ष 2019–2020

श्री मदनसिंह चौहान (सामान्य) को वर्ष 2019–20 की रिक्ति के प्रति पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री भॅंवर लाल पुत्र श्री केसराराम (सामान्य) के नीचे व श्रीमती चेतना भाटी पत्नी श्री हनुमन्त सिंह भाटी (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है तथा श्री विजय शंकर पुत्र श्री धन्ना लाल के वर्ष 2019–2020 की रिक्ति के प्रति किये गये पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते है।

श्री मोहम्मद अनवर, पुलिस निरीक्षक (सामान्य) के विरूद्ध रिक्ति तिथि 01–04–2019 को कोई प्रकरण लम्बित नहीं होने के कारण स्व0श्री मोहम्मद अनवर (सामान्य) को वर्ष 2019–20 में राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में दिनांक 01–04–2019 की रिक्ति के विरूद्ध **प्रोफॉर्मा पदोन्नति** प्रदान की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। उक्त पदोन्नत आरपीएस अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

30/9/2020

(गुरू प्रसाद शर्मा)
सहायक शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी सूचनार्थ प्रेषित है।

सहायक शासन सचिव, पुलिस

D:\JHALA2020\DPC 2020-21\Promotion Order